भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 212

21 जुलाई, 2026 के लिए प्रश्न

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के विस्तार के परिणाम

212. **श्री अशोकराव शंकरराव चव्हाण:**
श्री बृज लाल:
श्री मिथलेश कुमार:
श्री केसरीदेवसिंह झाला:
श्री मयंककुमार नायक:
डा. दिनेश शर्मा:
डा. के. लक्ष्मण:
डा. कविता पाटीदार:
श्री बाबूभाई जेसंगभाई देसाई:
श्री रायगा कृष्णैया:
श्री सुभाष बराला:
श्री नरेश बंसल:
श्री लहर सिंह सिरोया:
श्री बाबू राम निषाद:
श्री एस. सेल्वागनबेथी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जनवरी, 2025 से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के विस्तार के क्या परिणाम रहे हैं;

(ख) क्या सरकार ने आर्थिक चुनौतियों के दौरान कमजोर वर्गों को सहायता प्रदान करने में उक्त योजना की प्रभावशीलता अथवा प्रभाव का कोई आकलन अथवा मूल्यांकन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त योजना के संबंध में, प्रस्तावित संशोधनों, तकनीकी सुधारों अथवा अन्य कल्याणकारी योजनाओं के साथ इसके अभिसरण सहित, भविष्य की कार्ययोजना तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

...2/-

(क): गरीब लाभार्थियों के वित्तीय बोझ को कम करने और गरीबों की सहायता के लिए कार्यक्रम के राष्ट्रव्यापी एकरूपता और प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत दिनांक 1 जनवरी, 2023 से शुरू करके एक वर्ष की अवधि के लिए अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) परिवारों और प्राथमिकता प्राप्त परिवारों (पीएचएच) के लाभार्थियों को नि:शुल्क खाद्यान्न वितरित किया। पीएमजीकेएवाई के तहत नि:शुल्क खाद्यान्न वितरण की अवधि दिनांक 1 जनवरी, 2024 से और पांच वर्षों के लिए बढ़ा दी गई है।

भारत सरकार देशवासियों को पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न उपलब्ध कराकर उन्हें भोजन और पोषण सुरक्षा प्रदान करते हुए एक गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह योजना पूरे देश में एक समान मूल्य और मात्रा के साथ एक एकीकृत संस्थागत तंत्र प्रदान करती है और एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (ओएनओआरसी) के तहत लाभार्थियों, विशेष रूप से प्रवासियों की कठिनाइयों को दूर करती है।

(ख) एवं (ग): एनएफएसए के कार्यान्वयन की निगरानी को सुदृढ़ करने और नियमित आधार पर अधिक गहन, सटीक और व्यापक अनुभवजन्य साक्ष्य प्रदान करने के लिए, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने एनएफएसए, 2013 के कार्यान्वयन का समवर्ती मूल्यांकन वर्ष 2025-26, 2026-27 और 2027-28 के दौरान करने हेतु एक एजेंसी को नियुक्त किया है। एजेंसी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट https://dfpd.gov.in/pmgkay-concurrent-evaluation/en पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है।

(घ): सरकार ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के आधुनिकीकरण के लिए विभिन्न उपाय किए हैं, जिनमें राशन कार्ड डेटाबेस का 100% डिजिटलीकरण, लाभार्थियों का आधार सीडिंग, इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन के साथ ई-पीओएस उपकरणों की स्थापना और एकीकरण, पारदर्शिता पोर्टल/ऑनलाइन शिकायत निवारण सुविधा का कार्यान्वयन, टोल फ्री नंबर, ऑनलाइन आवंटन का कार्यान्वयन, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (ओएनओआरसी) आदि शामिल हैं।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा (संशोधन) विधेयक, 2026 के प्रारूप में अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के अंतर्गत आने वाले परिवारों के लिए खाद्यान्न की पात्रता को प्रति परिवार प्रति माह पैंतीस किलोग्राम खाद्यान्न को संशोधित कर प्रति व्यक्ति प्रति माह सात किलोग्राम खाद्यान्न करने का प्रावधान है, जो प्रति परिवार प्रति माह अधिकतम पैंतीस किलोग्राम खाद्यान्न की सीमा के अध्यधीन होगा।

विधेयक के प्रारूप में उचित वितरण सुनिश्चित करने, पात्रता में एकरूपता को बढ़ावा देने, मौजूदा परिवार-आधारित प्रणाली से उत्पन्न होने वाली विभिन्नताओं को दूर करने और आवंटन ढांचे को एनएफएसए के उद्देश्यों के साथ संरेखित करने की परिकल्पना की गई है।
